विशेष वाद संख्या–60/99

08.08.2023

पत्रावली पेश। पुकारा गया, पुकार पर अभियुक्त उपस्थित।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित हैं।

पत्रालवी वर्ष 1998 से लंबित है। अभियोजन के द्वारा एक ही साक्षी परीक्षित कराया गया है। इस न्यायालय में 2 विशेष लोक अभियोजकगण गैंगेस्टर के वादों की पैरवी किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये गये हैं, लेकिन उनकी प्रभावी पैरवी के उपरान्त भी केवल एक ही साक्षी पत्रावली में परीक्षित कराया जा सका है, जो अत्यन्त आपत्तिजनक है।

इस आदेश की एक प्रति विशेष लोक अभियोजक को इस निर्देश के साथ उपलब्ध कराई जाए कि वे इस प्रकरण को जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में रखेंगे।

पत्रावली वास्ते शेष साक्ष्य अभियोजन दिनांक–25.08.2023 को पेश हो।

अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०–6/
विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर), प्रतापगढ़।

Digitally signed by KUNDAN KISHORE
Date: 2023.08.08 16:34:25 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court